अपराध पंजीकरण, अन्वेषण, नतीजा प्रस्तुत करने के संबंध में

Content

समय : 90 min

1. संज्ञेय अपराध की सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के सम्बन्ध में– परिपत्र 2647–2724 दिनांक– 31.01.2019
2. पुलिस थानों की कार्य प्रणाली के बारें में प्राप्त शिकायतों के परीक्षण हेतु डिकॉय आपरेशन एवं अन्य उपायों के संबंध में, क्रमांक 214–64 दिनांक 11.01.2019
3. अपराधिक प्रकरणों में पहचान–पत्र लिए जाने के संबंध में– स्थाई आदेश 4/2019 क्रमांक 3166–3241 दिनांक–07.02.2019
4. प्रकरणों का अन्वेषण, न्यायालय में चालान का प्रस्तुतिकरण एवं अग्रिम अनुसंधान, क्रमांक 2787–847 दिनांक 27.02.2019
5. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में दिनांक 27.01.2019 को सम्पन्न चर्चा, क्रमांक 3854–3929 दिनांक 13.02.2019

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

क्रं.सं. CID/CB/PRC/परिपत्र/2019/2647-2724 दि. 31.01.2019

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं
समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण मय जी.आर.पी., राजस्थान पुलिस।

विषय: संज्ञेय अपराध की सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के सम्बन्ध में।

संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस के लिए विधि की अपेक्षा के साथ-साथ एक मौलिक कर्त्तव्य भी है। किसी भी परिवादी के द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दिए जाने पर उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) तत्काल दर्ज होने से उसके मन में पुलिस की संवेदनशीलता एवं कार्यकुशलता की छवि प्रतिबिंबित होती है। वहीं इस कार्य में पुलिस द्वारा देरी, टालमटोल या असंगत प्रतिक्रिया देने पर परिवादी की पीड़ा और बढ़ जाती है तथा विधिक प्रक्रिया प्रारंभ होने में देरी से इसका अनुचित लाभ आरोपी को मिलता है। ऐसे उदाहरण संज्ञान में आए हैं जिनमें पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर प्र.सू.रि. पंजीबद्ध कर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा इस सम्बन्ध में सत्यापन कर वास्तविकता जानने का प्रयास किया जिसमें कुल 2 स्थानों पर ही नियमनुसार तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध होने की पुष्टि हुई। सतर्कता शाखा की कार्रवाई में पुलिसकर्मियों की व्यवहारकुशलता में भी कमी परिलक्षित हुई। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

आम जन को त्वरित पुलिस सेवाएँ प्रदान करने में तथा किसी भी पीड़ित की समस्या का विधिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए उचित निदान करने में सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कदम उसके परिवाद का पंजीकरण है। पुलिस थाना एक ऐसा स्थान है जिसके सम्बन्ध में यह अपेक्षा की जाती है कि यहाँ किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का व्यक्ति, किसी भी समय, बिना किसी भय या संकोच के जा सकता है तथा अपनी समस्या मौखिक या लिखित रूप से बता सकता है और ऐसा करने पर विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करते हुए उसे आवश्यक पुलिस सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि हम इस ओर संवेदनशील एवं सतर्क नहीं हैं तो हम आम-जन का विश्वास अर्जित नहीं कर सकते और अपराध-मुक्त समाज के निर्माण में जनता की सहभागिता प्राप्त नहीं कर सकते।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि पुलिस थाने पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सद्व्यवहार से पेश आएँ एवं उसके द्वारा संज्ञेय अपराध, विशेषकर व्यावसायिक (professional) अपराध की सूचना देने पर अथवा पुलिस थाने पर किसी भी माध्यम से प्राप्त संज्ञेय अपराध की सूचना पर तत्काल विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्र.सू.रि. दर्ज करें तथा अग्रिम कार्रवाई करें। इस प्रक्रिया को अत्यंत सहजता एवं सौम्यता के साथ पूर्ण करते हुए ऐसी उत्तम कार्यशैली अपनाई जाए जिससे पीड़ित व्यक्ति का कानून में विश्वास सुदृढ़ हो। उच्चाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराएँ।

सद्भावी,

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
2. महानिदेशक पुलिस, ATS एवं SOG, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान।
3. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान

☎: +91-141-2744435 🖷: +91-141-2740693 ✉: dgp@rajpolice.gov.in

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः– 215–65 दिनांकः– 11/01/019

1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर
   समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस
2. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर
   समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।

विषय :– पुलिस थानों की कार्य प्रणाली के बारे में प्राप्त शिकायतों के परीक्षण हेतु डिकॉय आपरेशन एवं अन्य उपायों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः पुलिस थानों पर प्रकरण दर्ज करने, परिवादी के साथ उचित व्यवहार नहीं करने जैसी शिकायतें विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होती रहती हैं। श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के निर्देशानुसार अभी 5 जनवरी, 2019 को एक परीक्षण के तौर पर सतर्कता शाखा के 7 दलों को विभिन्न पुलिस थानों पर वाहन चोरी के प्रकरण दर्ज कराने एवं पुलिस कर्मियों के व्यवहार का परीक्षण करने हेतु भेजा गया, जिसमें निम्न परिणाम सामने आये –

1. लगभग सभी पुलिस थानों पर प्रारम्भ में वाहन चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी प्रकट की गई तथा 7 में से 2 ही पुलिस थानों द्वारा वाहन चोरी के प्रकरण दर्ज किये गये और 5 पुलिस थानों द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किया गया।
2. कुछ पुलिस थानों पर वाहन चोरी की सूचना देने पर उनके द्वारा वाहन की तलाश हेतु कुछ प्रयास किये गये परन्तु कुछ पुलिस थाने ऐसे भी सामने आये जिनके द्वारा वाहन चोरी की सूचना पर पूर्णतया उदासीन रवैया अपनाया गया।
3. इस परीक्षण में यह सन्तोषजनक रहा कि 7 में से 6 पुलिस थानों पर परिवादी के रूप में गये सतर्कता शाखा के दल के साथ उचित व्यवहार प्रदर्शित किया गया परन्तु एक पुलिस थाना पर थानाधिकारी का व्यवहार उचित नहीं पाया गया।
4. यह भी सामने आया कि पुलिस थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों में वाहन चोरी की ई–एफ.आई.आर. के विषय में जानकारी कम प्रतीत होती है क्योंकि इस परीक्षण में परिवादी के रूप में गये सतर्कता दल को कहीं भी ई–एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु परामर्श नहीं दिया गया।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के निर्देशानुसार निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं–

1. संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अभियोग पंजीबद्ध करना दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 154 (1), राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 31 तथा इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 02/2018 दिनांक 30.07.2018 के अनुक्रम में अनिवार्य हैं। अतः आप अपने क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थानों के थानाधिकारीगण को पुनः इस विषय में निर्देशित करें कि पुलिस थानों पर प्राप्त संज्ञेय अपराध की सूचना पर अविलम्ब प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया जाये।

2. अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी पुलिस थानों के थानाधिकारीगण को निर्देशित करें कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफ0आई0आर0 पंजीयन, चिकित्सकीय परीक्षण, नाकाबन्दी, मौका निरीक्षण आदि कार्यवाहियाँ तुरन्त की जाये तथा इनमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जाये।

3. पुलिस थानों पर आने वाले परिवादीगण के साथ उचित व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करने पर आमजन में पुलिस विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः परिवादीगण के साथ उचित व्यवहार करने हेतु पुलिस कर्मियों को पुनः संवेदनशील किया जाये।

4. वाहन चोरी की ई–एफ.आई.आर. दर्ज कराने की सुविधा के विषय में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये।

5. आप अपने स्तर पर भी पुलिस थानों के बारे में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करने, नाकाबन्दी–गश्ती दल द्वारा वाहनों से अवैध वसूली आदि बाबत प्राप्त सूचनाएं एवं शिकायतों के सत्यापन हेतु माह में कम से कम एक बार इस तरह के डिकॉय आपरेशन आवश्यक रूप से करावें। आपके द्वारा किये गये डिकॉय आपरेशन की सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जरिये डी0ओ0 अधोहस्ताक्षरकर्ता को ईमेल–adgp.vigilance@rajpolice.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि सतर्कता शाखा के द्वारा दिनांक 05.01.2019 को किये गये डिकॉय आपरेशन की भांति भविष्य में भी डिकॉय आपरेशन किये जाते रहेंगे।

भवदीय,

11/01/19

(गोविन्द गुप्ता)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
सतर्कता, राजस्थान, जयपुर।

अति–आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः– CID/CB/PRC/परिपत्र/2019/3166-3241 दिनांकः– 7-2-2019

स्थाई आदेश संख्याः– 4/2019

विषयः– अपराधिक प्रकरणों में पहचान–पत्र लिए जाने के संबंध में।

स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो
राज. जयपुर
दिनांक 8/2/19
निदेशक
उप महानिदेशक
पु. अधीक्षक
अति. पुलिस अधीक्षक
शाखा

अनेक अवसरों पर पाया गया है कि अपराधिक प्रकरणों में अभिक्तगण गलत नाम, पते बेता कर जमानत अथवा मुचलके पर रिहा हो जाते है। उन्हें बाद में तलाश कर पाना असंभव हो जाता है। न्यायालय से सम्मन अथवा वारन्ट प्राप्त होने पर तामील होने पर कठिनाई आती है तथा तामील कुनिन्दा द्वारा नाम व पता गलत होने की रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। फलस्वरूप अपराधिक प्रकरण न्यायालय में निर्णित नहीं हो पाते। इस कठिनाई से निपटने के लिए निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में परिवादी, अभियुक्तगण, मौतबिरान, जामिन विशेषज्ञों यथा एफ.एस.एल. विशेषज्ञ, मेडिकल ज्यूरिस्ट, अनुसंधान अधिकारी आदि के संबंध में **परिशिष्ट संख्या 1** में वृर्णितानुसार सूचनाएं सही, पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे तथा उनकी पहचान हेतु परिशिष्ट संख्या 2 में वर्णित पहचान पत्रों में से एक को (जहाँ तक संभव हो फ़ोटो युक्त पहचान–पत्र को) आवश्यक रूप मूल ही अवलोकित किया जाए तथा वृत्ताधिकारी कार्यालय एवं मूल पत्रावली हेतु उसकी दो छायाप्रतियाँ प्राप्त होने पर ही उनके मुचलके व जमानत स्वीकार करें।

इस संबंध में न्यायालयों से भी निवेदन किया जाए कि वे अभियुक्त एवं जमानत देने वाले व्यक्ति की उपरोक्तानुसार पहिचान उपलब्ध होने पर ही उनके मुचलके व जमानत स्वीकार करें। इन निर्देशों की पालना हेतु सभी वृत्ताधिकारी अपने क्षेत्र के थानों के संबंध में दिनांक 22.02.2019 तक जिला पुलिस अधीक्षक को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रारम्भ की जा चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपने दौरों के समय इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रकरणों के निस्तारण के समय आदेशकर्ता इन निर्देशों की पालना का सत्यापन आवश्यक रूप से करेंगे।

कृपया इसे अति–आवश्यक समझें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महानिदेशक पुलिस ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी./प्रशिक्षण/प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस मय आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

R 895
8/2/19

क्र.सं.	व्यक्तिगत विवरण
1	आधार नम्बर
2	प्रथम नाम*
3	मध्य नाम
4	अंतिम नाम
5	लिंग*
6	उपनाम
7	वैवाहिक स्थिति
8	मोबाईल नम्बर
9	लैंडलाइन नम्बर
10	ईमेल आईडी
11	संबंधी का प्रकार (अभिवावक / पति / पत्नी / पिता / माता)
12	संबंधी का नाम
13	श्रेणी (एससी / एसटी / ओबीसी / जनरल)
14	आयु*
15	जन्म तिथि
16	आयु (वर्ष / महीना)
17	जन्म का वर्ष
18	आयु सीमा (से–तक)
19	पता स्थाई पता
20	मकान सं.
21	गली का नाम
22	कॉलोनी / इलाका / क्षेत्र
23	ग्राम / नगर / शहर*
24	तहसील / ब्लॉक / मंडल
25	देश*
26	राज्य *
27	जिला*
28	पुलिस स्टेशन
29	पिन कोड
30	वर्तमान पता*
31	अन्य जानकारी
32	व्यवसाय
33	राष्ट्रीयता हेतु देश*
34	पहचान का प्रकार (पासपोर्ट / चालक अनुज्ञप्ति / राशन कार्ड / शस्त्र अनुज्ञप्ति / मतदाता कार्ड / आयकर पैन कार्ड / आधार कार्ड)
35	आईडी कार्ड संख्या

परिशिष्ट संख्या–2

अन्वेषण में ग्राह्य पहचान पत्र

1. आधार कार्ड।
2. मतदाता पहचान पत्र।
3. पासपोर्ट।
4. चालक अनुज्ञा पत्र (ड्राईविंग लाईसेन्स)।
5. आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन.)।
6. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले पहचान पत्र।
7. बैंक/किसान/डाकघर पासबुक।
8. राशन कार्ड।
9. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र।
10. मूल निवास प्रमाण पत्र।
11. छात्र पहचान पत्र।
12. सम्पत्ति प्रपत्र उदाहरणार्थ–पट्टा, रजिस्ट्री, वाहन पंजीकरण पुस्तिका आदि।
13. शस्त्र अनुज्ञा पत्र।
14. परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी संवाहक अनुज्ञा पत्र।
15. पेंशन पुस्तिका जैसे–भूतपूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका/पेंशन भुगतान आदेश आदि।
16. भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र।
17. रेलवे/बस पास।
18. शारीरिक अपंगता प्रमाण पत्र।
19. स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र।
20. बैंक क्रेडिट कार्ड।
21. बी.पी.एल. कार्ड।
22. बिल आदि।
23. किसी मौतबिर व्यक्ति द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
24. अन्य।

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

क्र.सं. 2787 - 847 दिनांक:- 27-02-2019

परिपत्र

विषय:- प्रकरणों का अन्वेषण, न्यायालय में चालान का प्रस्तुतिकरण एवं अग्रिम अनुसंधान।

डी.बी. क्रिमिनल अपील नम्बर 1112/2014 द्वारा सलामू उर्फ सलमू बनाम राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 11.02.2019 में पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के अन्तर्गत अनुसंधान पैण्डिग रखने के संबंध में टिप्पणी की गई है तथा महानिदेशक पुलिस राजस्थान से इस संबंध में विस्तृत निर्देश पारित करने की अपेक्षा की गई है।

इस संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 3100-50 (5/1999) दिनांक 05.08.1999, 25-72 (1/2001) दिनांक 03.01.2001, 2115-2215 दिनांक 03.03.2014 एवं 3351-3421 दिनांक 26.03.2015 द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण होने पर निस्तारण के सम्बन्ध में तथा अग्रिम अनुसंधान लंबित रखने के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं -

1. सभी प्रकरणों में अनुसंधान शीघ्र एवं विधि द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. अनुसंधान की समाप्ति पर जिन अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन सभी के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसमें उन अभियुक्तगण को भी सम्मिलित किया जाए जो गिरफ्तार दस्तयाब नहीं हो पाए हैं। चालान प्रस्तुत करने में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में निर्धारित समयावधि का पूर्ण ध्यान रखा जाए ताकि अभियुक्तगण को जमानत का लाभ नहीं मिल सके।
3. यदि किसी प्रकरण में अतिरिक्त साक्ष्य संकलन आवश्यक हो तो निस्तारण आदेश पुलिस उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक से ही प्राप्त किये जाएं।

4. निस्तारण आदेश में पुलिस उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम अनुसंधान के बिंदु स्पष्ट रूप से अंकित किये जाएं।

5. यदि किसी अभियुक्त विशेष की संलिप्तता के बारे में निर्णय लिये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो तो पुलिस उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश में स्पष्ट अंकित किया जाए कि किन व्यक्तियों के विरूद्ध अग्रिम अनुसंधान एवं अतिरिक्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त ही निर्णय संभव होगा ।

6. अग्रिम अनुसंधान के बिंदु एवं यदि किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध अतिरिक्त साक्ष्य संकलन प्रस्तावित है तो चालान में स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

7. अतिरिक्त साक्ष्य संकलन हेतु अनुसंधानाधीन प्रकरणों की पुलिस उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक स्तर पर मासिक समीक्षा की जाए।

8. तीन माह की अवधि के भीतर अतिरिक्त अनुसंधान वाले प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।

9. तीन माह से अधिक अवधि के बाद भी अग्रिम साक्ष्य संकलन की आवश्यकता वाले प्रकरणों में अग्रिम अनुसंधान जारी रखने की अनुमति पुलिस आयुक्त/रेंज महानिरीक्षक पुलिस से प्राप्त की जाए।

10. पुलिस आयुक्त / रेंज महानिरीक्षक पुलिस द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में 3 माह से अधिक अवधि तक अतिरिक्त साक्ष्य संकलन हेतु लम्बित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए तथा शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश / मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।

11. अतिरिक्त साक्ष्य संकलन के उपरांत यदि साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो तो वह अविलम्ब प्रस्तुत की जाए तथा यदि किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका पूर्व में चालान नहीं किया गया हो, के विरूद्ध चालान प्रस्तुत करने के योग्य साक्ष्य उपलब्ध हो तो अविलम्ब न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाए।

12. अतिरिक्त साक्ष्य संकलन के अभाव में न्यायालय को सूचित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाए।

13. जिन अभियुक्तों का चालान अदम गिरफ्तारी / दस्तयाबी किया गया हो, उनके विरूद्ध उनकी अनुपस्थिति में दंड, प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के अतंर्गत अन्वीक्षा (Trial) हेतु न्यायालय से निवेदन किया जाए।

14. पूर्व में गिरफ्तार / दस्तयाब होने से शेष रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी की स्थिति में 24 घंटे की अवधि में बरामदगी की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो न्यायालय से रिमांड प्राप्त किया जा सकता है।

15. अग्रिम अनुसंधान हेतु लम्बित प्रकरणों की सूंचना प्रत्येक माह सी.आई.डी. (अपराध शाखा) को प्रेषित की जाए ।

उक्त निर्देशों से समस्त जिला / यूनिटों में पदस्थापित प्रत्येक रैंक के अनुसंधान अधिकारियों को सूचित करें तथा उन्हें विस्तार से समझाएं। भविष्य में यदि उक्त निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में कमी पायी जाती है तो सम्बंधित अनुसंधान अधिकारी के साथ-साथ उनके नियंत्रण अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

यह महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा अनुमोदित है।

सदभावी,

27/2

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. महानिदेशक पुलिस, ATS एवं SOG, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. समस्त रैंज महानिरीक्षक, राजस्थान एवं पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर ।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान एवं समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर।
5. समस्त रैंज प्रभारी अन्वेषण अनुभाग अपराध शाखा राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली ।

27/2

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक : सीआईडी / सीबी / पीआरसी / परिपत्र / 2019 / 3854-3929 दिनांक : 13 / 02 / 2019

ज्ञापन

विषय : राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में दिनांक 27.01.2019 को संपन्न चर्चा।

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान दिनांक 27 / 01 / 2019 को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों की उपस्थिति में राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों से परिचर्चा में सम्मिलित हुए। परिचर्चा में माननीय न्यायाधिपतियों तथा राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित बिन्दु उठाये गयेः–

क्र.सं.	माननीय न्यायाधिपतियों तथा राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा उठाये गये बिन्दु	पुलिस मुख्यालय से उठाये गये बिन्दुओं के संबध में निर्देश
01.	चालान के साथ साक्षीगण का पूर्ण विवरण जिसमें आयु, पहचान पत्र, स्थाई पता, मोबाईल एवं ईमेल पता का पूर्ण अभाव होना। साक्षीगण जिनमें चिकित्सक, विशेषज्ञ तथा अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी विशेष रुप से सम्मिलित हैं।	भविष्य में प्रकरण से संबधित प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें प्रथम सूचना की रिपोर्ट देने वाला, साक्षीगण, मोतबिरान, विशेषज्ञ, चिकित्सक, अन्वेषण अधिकारी तथा आदेश प्रदान करने वाले अधिकारी शामिल हैं, के संबध में सम्पूर्ण सूचना इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सीआईडी / सीबी / पीआरसी / परिपत्र / 2019 / 3166–3241 दिनांक 07 / 02 / 2019 के अनुरुप प्राप्त की जाए।
02.	चालान के साथ समस्त पेपर्स संलग्न नहीं किये जाते हैं।	भविष्य में चालान के साथ समस्त पेपर्स / रिकार्ड प्रस्तुत किये जाएं।
03.	धारा 173 (8) दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों का लम्बे समय तक निस्तारण नहीं किया जाता जिससे अन्वीक्षा प्रभावित होती है।	अन्वेषण पूर्ण होने पर न्यायालय में धारा 173(2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत चालान प्रस्तुत किया जाए। यदि कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पाए अथवा तफ्तीश हेतु उपलब्ध नहीं हो पाए तो भी धारा 173(2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया जाए। ऐसे अभियुक्त के बाद में मिल जाने पर उससे रिकवरी की जा सकती है एवं आवश्यक होने पर उसे पुलिस रिमांड पर भी लिया जा सकता है। चालान प्रस्तुत करने के उपरांत भी साक्ष्य एकत्र कर उसे धारा 173(8) दं. प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। चालान प्रस्तुत करने के बाद यदि अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र करने के लिए अनुसंधान जारी रखना आवश्यक हो तो इसकी अनुमति जिला पुलिस अधीक्षक से ली जाए।
04.	एफ.आर. प्रस्तुत करने के संबध में सूचनाकर्ता को नोटिस नहीं दिया जाता है तथा न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर उसकी तामील नहीं करवाई जाती।	एफ.आर. के साथ तामीलशुदा सूचना कार्ड आवश्यक रुप से संलग्न किया जाए तथा न्यायालय से प्राप्त नोटिस की तामील हर सूरत में कराई जाए। सूचनाकर्ता को FR प्रस्तुत करने के समय न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु प्रेरित किया जाए।

05.	चालान से पूर्व अथवा अन्वीक्षा (trial) के समय भगोड़ा हो जाने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं की जाती व धारा 82, 83 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई नहीं की जाती।	इस संबध में हाल ही में जारी आदेश क्रमांक सीआईडी / सीबी / पीआरसी / परिपत्र / 2019 / 3435–3512 दिनांक 11 / 02 / 2019 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए।
06.	सभी प्रकार के सम्मन, वारंट जिनमें वसूली वारंट तथा धारा 138 एन.आई.ए. के नोटिस शामिल हैं की तामील का स्तर संतोषजनक नहीं है।	इस संबध में भी हाल ही में जारी आदेश क्रमांक सीआईडी / सीबी / पीआरसी / परिपत्र / 2019 / 3435–3512 दिनांक 11 / 02 / 2019 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए।
07.	पुलिस साक्षीगण, कानून एवं व्यवस्था में व्यस्त होने, पता मालूम नहीं होने तथा पुलिस अधीक्षक अथवा उच्चाधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं देना अथवा जान–बूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते।	अपरिहार्य परिस्थितियों में ही पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य के लिए जाने से रोका जाए। सामान्यतः सुनिश्चित किया जाए कि सेवानिवृत्त / सेवारत पुलिस अधिकारीगण न्यायालय में आवश्यक रुप से उपस्थित हों। सी. आई.डी. अपराध शाखा में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सूचना न्यायालय में प्रेषित की जाए। इसी प्रकार सभी जिलों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए तथा उनके सम्पर्क विवरण को उपलब्ध कराया जाएं।
8.	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत वसूली वारंट की तामील बहुत कम होती है।	इस संबध में हाल ही में जारी आदेश क्रमांक सीआईडी / सीबी / पीआरसी / परिपत्र / 2019 / 3435–3512 दिनांक 11 / 02 / 2019 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए।
9.	अन्वीक्षा के दौरान मालखाना प्रस्तुत नहीं किया जाता।	इस संबध में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रत्येक थाने का मालखाना दिवस तय किया जाये ताकि हर रोज मालखाने की आवश्यकता नहीं पड़े। न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर हर सूरत में मालखाना आइटम प्रस्तुत किये जाएं।
10.	पीड़ितो के बारे में जिला स्तरीय सर्विस ऑथिरिटी (DLSA) को कानूनी मदद तथा मुआवजा हेतु सूचना नहीं भेजी जाती।	उपयुक्त मामलों में पीडितों के संबध में सूचना आवश्यक रुप से भेजी जाए। इस संबध में सीआईडी, अपराध शाखा द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जाएं। यदि पूर्व में निर्देश जारी किये गए हों तो उन्हें प्रस्तुत करें। एससीआरबी द्वारा इस संबध में CCTNS में आवश्यक customisation किया जाए।
11.	जिला पुलिस की वेबसाईट पर गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध होनी चाहिये।	राजस्थान पुलिस के वेबपोर्टल अथवा CCTNS के माध्यम से प्रदर्शित करने के संबध में एससीआरबी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाए।
12.	NDPS Act के संबंध में विशेष रुप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि आज्ञायक प्रावधानों की पालना के अभाव में अभियुक्त को लाभ नहीं मिल सके।	प्रशिक्षण शाखा द्वारा इस संबंध में विशेष प्रशिक्षण आयोजित किये जाएं।

13.	NDPS Act की सफल पैरवी हेतु PPs/Addl. PPs को प्रशिक्षित किया जाए।	निदेशक, अभियोजन से निवेदन किया जाए।
14.	मासिक समन्वय बैठक (Monthly Coordination Meeting) में पुलिस अधीक्षक आवश्यक रुप से उपस्थित हों।	इस अपेक्षा की पूर्ण पालना की जाए। यही नहीं, सभी DCPs/Distt.SPs एवं उच्चतर अधिकारियों को जिला एवं सेशन न्यायाधीश को अपनी ओर से चर्चा के बिंदु (agenda) भी भेजे जाएं। नवपदस्थापित अधिकारी उनसे शिष्टाचार भेंट भी करें।
15.	कुछ स्थानों पर पुलिस द्वारा लंबे समय से तामील के अभाव में लम्बित स्थाई वारंटों को स्वतः खारिज कर दिया गया।	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 के परिप्रेक्ष्य में यह सही नहीं है। भविष्य में ऐसा नहीं किया जाए तथा न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर ही उन्हें खारिज किया जाए। पूर्व में खारिज किये गये वारंटों को पुनः जारी कराया जाए। न्यायालय व पुलिस थाने के रिकार्ड का मिलान कर थाने में अप्राप्त सम्मन/वारंट को पुनः प्राप्त किया जाए।
16.	अनेक पुराने प्रकरणों के चालान/FR न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं किये गए।	न्यायालय को लंबित प्रकरणों की सूची उपलब्ध करा कर शेष प्रकरणों की सूची प्राप्त की जाए तथा उनके चालान/FR दिनांक 15.03.2019 तक न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएं।
17.	चालान पेश होने के बाद प्राप्त होने वाली FSL रिपोर्ट न्यायालय में लंबे समय तक प्रस्तुत नहीं की जाती।	यह पूर्णतया गलत परिपाटी है। FSL रिपोर्ट प्राप्त होते ही न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। यदि इसमें लापरवाही/गलती पाई जाए तो सख्त कार्रवाई की जाए।
18.	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को RJSA भेजा जाए।	प्रशिक्षण शाखा RJSA के निदेशक से संपर्क कर नियमित रुप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को भी विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में बुलाया जाए।

इसके अतिरिक्त, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा उपस्थित माननीय न्यायाधिपतियों एवं राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारीगणों से निम्नलिखित चर्चा की गई:

(1) एक पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को सप्ताह के एक ही दिन में रखा जाए। सम्मन की तामील डाक/electronic संसाधनों अथवा SMS के माध्यम से की जाए।

(2) पुलिस अधिकारियों के पदस्थापन तथा सम्पर्क के संबध में पुलिस की वेबसाईट से सूचना प्राप्त की जाए।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अन्तर्गत प्रकरण के पंजीकरण का आदेश जारी करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना की जाए। ऐसे प्रकरण झूठे पाये जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा धारा 211 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई की जाए।

(4) वरिष्ठ अधिकारियों को अति–आवश्यक होने पर ही न्यायालय में बुलाया जाए।

(5) पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विपरीत टिप्पणी तथा उसके प्रचार–प्रसार से बचा जाए ताकि पुलिस अधिकारियों/कर्मियों का मनोबल बना रहे।

(6) न्यायालयों द्वारा मौखिक आदेश से चालान/एफ.आर. लेने से इंकार नहीं किया जाए। न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपेक्षा की गई कि चालान/FR प्रत्येक दिन भेजे जाएं व उन्हें एक ही दिन में प्रस्तुत करने हेतु लम्बित नहीं रखा जाए।

(7) चालान के प्रकरणों में न्यायिक पत्रावली संख्या (J.F. No.) अविलम्ब दिया जाए।

(8) न्यायालय द्वारा चालान/FR पत्रावली, समस्त पत्राचार/आवेदन–पत्रों की रसीद अथवा प्राप्ति पंजिका की संख्या उपलब्ध कराई जाए।

(9) एक व्यक्ति को एक ही प्रकरण में अथवा अनेक अपराधों में लिप्त व्यक्ति को बार–बार जमानत नहीं दी जाए। इस पर उपस्थित माननीय न्यायाधिपतियों ने अभियुक्त का सम्पूर्ण अपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की अपेक्षा की ताकि जमानत आदेश पर निर्णय लेते समय अपराध रिकॉर्ड का ध्यान रख सकें। इस संबध में सी.आई.डी. अपराध शाखा द्वारा जारी आदेश क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/1624–73 दिनांक 12/04/2006 की पूर्ण पालना की जाए।

(10) न्यायालय में धारा 164 व 275 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आडियो, वीडियो रिर्काडिंग का प्रयोग किया जाए।

(11) पुलिस अधिकारियों के न्यायालय में उपस्थित होने पर उनकी साक्ष्य प्राथमिकता से ली जाए।

सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ को तत्काल अवगत कराएं तथा पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। इनकी वरिष्ठ अधिकारीगण नियमित रुप से पालना के स्तर की समीक्षा करें। रेंज प्रभारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी अपने दौरे के समय इन निर्देशों की पालना की समीक्षा करें।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1– महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी/प्रशिक्षण/प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2– समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर मय निदेशक आरपीए, जयपुर।
3– समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4– समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी/समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।